

2021/190

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बयाना, भरतपुर (राज.)

मुकदमा ओमप्रकाश बनाम राजाराम बगैराह

किरम मुकदमा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए एक्ट

नं. 80/2021 सन.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
23.06.2021	<p>दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत श्री वेदप्रकाश शर्मा एडवोकेट द्वारा मय वादी उपस्थित होकर पेश किया गया। दावा दर्ज पंजिका हो। प्रतिगणों को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.08.2021 को पेश हों</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)</p> <p>श्री वेदप्रकाश शर्मा एडवोकेट पत्रावली दिनांक 06/08/21 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी बयाना</p> <p>15/10/21 <i>[Signature]</i> आदरणीय वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादीगण पेशी से सम्बन्धित वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर विवेक किया है कि अब पत्रावली के तहत आपस में बयाना मांगें युक्त हैं। वादीगण अब अपना दावा आगे मही चलाना चाहते हैं। वाद - वादीगण इसी स्तर पर विवेक रखाने का विकल्प दिया है।</p>	<p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> निहालचन</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 7/11</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> प्रकाश किरम मुकदमा भरतपुर</p>

हमने वादीगण को युवा वादीगण अव-
 अपना वाद आगे नहीं बढ़ाना चाहे
 है। दादा स्वार्थि करने का विवेक
 किया है। वादीगण की पहचान प्रवे-
 प्रसार शक्ति १०५ कोर्ट ने की है।

अतः वाद वादीगण, स्वार्थि वादीगण
 के द्वारा प्रचलित प्रारम्भिक पत्र के आधार पर
 उसी स्तर पर स्वार्थि किया जाना है।
 पत्रावली के स्तर पुस्तक होकर नभर
 से कम है। वाद - वरगील बाधित
 दक्ष है।

उपखण्ड अधिकारी
 बयाना (भरतपुर)